

शुल्क एकत्र करने के लिए अंतरिम प्रक्रिया

आम जनता से सभी भुगतान अवर सचिव (रोकड़), वस्त्र मंत्रालय जो वस्त्र मंत्रालय के आहरण एव वितरण अधिकारी (डीडीओ) का भी कार्य कर रहा होगा, के नाम से प्राप्त किया जाएगा। नकद/बैंक ड्रॉफ्ट/बैंक चैक/भारतीय पोस्टल ऑर्डर/आईपीओ के रूप में सभी भुगतान अवर सचिव (रोकड़), वस्त्र मंत्रालय के नाम से किए जाने चाहिए। तथापि, नकद भुगतान वस्त्र मंत्रालय के रोकडिया (कमरा सं.54, उद्योग भवन) के पास जमा किए जाएं और उनकी रसीद प्राप्त की जाए तथा उसे आवेदन के साथ संलग्न किया जाए।